

चक्काजाम कर छात्राओं ने मांगा स्कूल के लिए रास्ता



सिवनी में पक्की सड़क के लिए जेन अल्फा उग्र

नवभारत न्यूज
सिवनी, 24 अगस्त. छिदवाड़ा मार्ग पर ग्राम कोहका गोह के पास सोमवार दोपहर खराब सड़क को लेकर पीपरड़ाही हाईस्कूल के नाराज छात्र छात्राओं ने चक्काजाम कर दिया. विद्यार्थियों के मुताबिक चारगांव-जमुनिया से स्कूल तक जाने वाला रास्ता कच्चा है और बारिश में इसकी हालत और बिगड़ जाती है. सड़क पर जगह-जगह कीचड़ और गड्डे हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. उन्हें कपड़े और कितारें बचाकर इस रास्ते से स्कूल पहुंचना पड़ता है. लंबे अर्से से ये यह समस्या बनी हुई है, मगर इसका अब तक कोई स्थायी हल नहीं किया गया. विद्यार्थियों के चक्काजाम के

चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई. दोपहर 11 बजे से शुरू हुआ घटनाक्रम एक घंटे से अधिक समय तक चला. सूचना मिलने पर, तहसीलदार, एसडीएम, डीईओ सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने विद्यार्थियों से बातचीत की और सड़क से हटने की अपील की. स्कूल प्रबंधन ने भी उनसे बातचीत की लेकिन छात्र सड़क सुधार की मांग पर अड़े रहे. उनका कहना था कि स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते को ठीक करने के लिए ठोस पहल होने के बाद ही वे आंदोलन खत्म करेंगे, हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने के बाद मार्ग खालीकर स्कूल लौट गये.

परीक्षा में बांटा गलत पेपर, छात्रों ने कर दिया घेराव

रानी दुर्गावती यूनीवर्सिटी में उग्र प्रदर्शन



गए और सोमवार को प्रशासनिक भवन पर उग्र प्रदर्शन करते हुए जनरल प्रमोशन देने की मांग रखी. पीड़ित छात्र दल ने कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल को पत्र दिया, जिस पर उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और किसी को भी फेल न करने

का आश्वासन दिया. विद्यार्थियों का कहना है कि प्रशासन अपनी व्यवस्थागत खामी का बोझ जबरन उनके ऊपर डाल रहा है. छात्र प्रतिनिधियों ने विवि प्रशासन के समक्ष पत्रबूती से पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि जिस पाठ्यक्रम का अध्यापन पूरे वर्ष

कराया ही नहीं गया, उसके आधार पर किसी भी छात्र को योग्यता का आकलन करना नियम विरुद्ध है. कुलसचिव ने मामले की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि किसी भी निर्दोष विद्यार्थी का साल खराब नहीं होने दिया जाएगा. विवि प्रशासन अब प्रश्न पत्र तैयार करने, उसकी मॉडरेशन व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों तक गोपनीय पैकेट पहुंचाने वाली पूरी प्रक्रिया की पड़ताल कर रहा है. प्रश्न पत्र वितरण में किस स्तर पर मानवीय या तकनीकी चूक हुई, उसकी जावबदेही तय की जा रही है. जांच रिपोर्ट आते ही जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक वैधानिक कदम उठाए जाएंगे.

एक नजर में

बस- आटो की भिड़ंत में बहन की मौत, भाई गंभीर सीधी. रक्षाबंधन से पहले सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. ग्राम सपही बांध के पास सोमवार को तेज रफतार बस और ऑटो की जोरदार भिड़ंत में स्कूल जा रहे तीन बच्चे घायल हो गए.

दुकर्म के आरोपी ने पुल से कुदने की दी धमकी भिड़. प्रेमिका से जन्मी बच्ची को अपनी संतान बताते हुए उसे साथ ले जाने की मांग कर रहा दुकर्म का आरोपी चंबल नदी के पुल पर चढ़ गया. उसने नीचे कुदने की धमकी दी. सूचना मिलते ही मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे की समझाइश के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया.

सामूहिक दुकर्म का आरोप, तीन गिरफ्तार डबरा. भितरवार के बसई गांव में 21 वर्षीय युवती के साथ राइफल की नोक पर घर से ले जाकर सामूहिक दुकर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता के आरोप के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. सोमवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

स्किल करेंसी, इनोवेशन इकोनामी

1 संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाना होगा

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 24 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत के पास अपने सामर्थ्य से हर प्रकार की चुनौती से निपटने की क्षमता है. जिस प्रकार रामायण में जायवंत ने समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी को उनकी शक्ति से परिचित कराया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को उसके सामर्थ्य से परिचित कराया है.

आज स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनामी. हमारी संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना होगा. पब्लिकेशन से लेकर पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक और प्रोटोटाइप से लेकर एंटरप्राइज की इकोनामिक और नॉलेज वैल्यू चैन की स्थापना करनी होगी. मध्यप्रदेश अवसरों की धरती है और प्रतिभाशाली युवा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि शक्ति, उद्यमशीलता और औद्योगिक क्षमता हमारे संसाधन हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव कुशाभाऊ ठाकरे संभागार में



कंटीयूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन फॉर समुद्र मध्यप्रदेश :2047 पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे. वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस की थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में स्थित केन्द्रीय संस्थाओं की समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करना है. कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में विभिन्न संस्थाओं के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक मंच पर एकत्र होना मप्र के अनुरूप योगदान देने का अवसर

2 राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा

आज एआई पर बात करना फैशन बन गया :सीएस मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर बहुत अधिक फोकस है, आज एआई के बारे में बातें करना एक फैशन बन गया है. ये सही है कि आने वाले समय में एआई बड़ा बदलाव लाने वाला है, लेकिन इसका असर किता और किस रूप में होगा, इसके बारे में अभी से अनुमान लगाना मुश्किल है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रदेश की युवा आबादी को किस तरह तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि हमें हमारे युवाओं को एआई की चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से कौशल सम्पन्न बनाना होगा. सभी केन्द्रीय संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में संकल्प लें और परिणाम देने के उद्देश्य से कार्य करें. विकसित मप्र की जिम्मेदारी सिर्फ शासन की नहीं, बल्कि हम सभी की है.

महत्वपूर्ण अवसर है. इससे संस्थानों को अपनी उपलब्धियां, विशेषज्ञता और भविष्य की योजनाएं साझा करने के साथ प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप योगदान देने का अवसर मिलेगा. संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान और तकनीक का लाभ प्रयोगशालाओं और परिसरों तक सीमित न रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए.

‘विधायक मेरा मामा है’ कहकर शराब बेचने की धौंस, ग्रामीणों ने किया विरोध

नवभारत न्यूज
खंडवा, 24 अगस्त. पिपलोद थाना क्षेत्र के खिड़गांव में शराबबंदी की मुहिम के दौरान एक युवक पर राजनीतिक रसूख का हवाला देकर शराब बिक्री जारी रखने का आरोप लगा है. ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, डायरी सिस्टम के जरिए शराब बेच रहे युवक ने खुद को विधायक कंचन तनवे को अपना मामा-मामी बताया. विरोध बढ़ने पर युवक ने मुकेश तनवे को फोन लगाया, हालांकि फोन उनके पीए सुनील ने उठाया. युवक की विधायक



बेचते हुए रोकने की कोशिश की. समझाइश देने पर उसने कथित तौर पर विधायक कंचन तनवे और उनके पति मुकेश तनवे को अपना मामा-मामी बताया. विरोध बढ़ने पर युवक ने मुकेश तनवे को फोन लगाया, हालांकि फोन उनके पीए सुनील ने उठाया. युवक की विधायक

या उनके पति से सीधे बात नहीं हो सकी. इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ममता मोरे ने संबंधित शराब ठेकेदार से गांव में शराब बिक्री बंद करने को कहा. ठेकेदार ने गांव में शराब नहीं बेचने की बात कही. सहायक जिला आबकारी अधिकारी चंदनसिंह मीणा ने कहा कि शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. उनके मुताबिक लाइसेंस डुकान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शराब बिकवाना अवैध है. शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पचमढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप

रिपोर्ट दर्ज होते ही 6 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
नर्मदापुरम, 24 अगस्त . मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि परिचित युवकों ने ही नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया हैं.

नाबालिक एक युवक के साथ पचमढ़ी घूम रही थीं तभी उनके परिचित युवक आ गए और बहला-फुसलाकर दोनों को घुमाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गए. जहां आरोपियों ने नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म किया. एडिशनल एसपी अभिषेक राजन ने बताया कि घटना 19 अगस्त की है. घटना के



बाद नाबालिग और उसका मित्र

छह घंटे के अंदर टीमें ने आरोपियों को घेरा

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई. जिन्होंने आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब छह घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नाबालिग की पहचान से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखा है. प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

राहत सुप्रीम कोर्ट का अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला

नए नियम पुराने कर्मियों पर लागू नहीं हो सकते

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 24 अगस्त. नवभारत न्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा नियमों में बदलाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि बाद में किए गए संशोधन या जारी आदेशों की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिससे उन कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी हो, जिन्होंने पहले लागू नियमों के मुताबिक अपनी योग्यता हासिल की थी. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भूइया की पीठ ने तमिलनाडु पर्यटन विभाग से जुड़े मामले में यह टिप्पणी की.



मामला आर.जे. गर्जंद कुमार का था, जिन्हें 1983 में पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर तमिलनाडु पर्यटन विभाग में जूनियर असिस्टेंट नियुक्त किया गया था. बाद में सरकार ने इस तरह प्राप्त योग्यताओं को विभिन्न आदेशों के जरिए मान्यता दी. वर्ष 2000 में डिस्टेंस एजुकेशन

से मिली डिग्री को नियमित डिग्री के बराबर भी माना गया. कुमार को 2011 में टूरिस्ट ऑफिसर पद पर पदोन्नति मिली और उनकी सेवा 5 अगस्त 2011 से नियमित की गई. लंबे समय तक उनकी शैक्षणिक पात्रता या पदोन्नति पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई. हालांकि, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म पद पर पदोन्नति का दावा करने पर वर्ष 2020 में सरकार ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया. विभाग ने बाद में जारी आदेशों और स्पष्टीकरणों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी शिक्षा निर्धारित 10+2+3 व्यवस्था के अनुरूप नहीं थी.

हाईकोर्ट का आदेश पलटा

मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कुमार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन खंडपीठ ने उसे पलट दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. शीर्ष अदालत ने खंडपीठ का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जिस समय संबंधित योग्यता हासिल की गई थी, उस समय वह लागू नियमों के तहत स्वीकार्य थी. बाद में हुए बदलावों के आधार पर उसे पिछली अधिष्ठ से अमान्य नहीं माना जा सकता.

सीएम के फर्जी लेटरहेड से डॉक्टर का ट्रांसफर

अलीराजपुर. मुख्यमंत्री के नाम और फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल कर आयुष चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण आदेश तैयार कर सोशल मीडिया पर भेजने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान मोबाइल से मिले 45 हजार रुपए के ऑनलाइन लेनदेन के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. सीएमएचओ डॉ. राजेश अतुलवार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोपी ने मुख्यमंत्री के लेटरहेड और फोटो का इस्तेमाल कर आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. निर्मला निवाला का उदयगढ़ से सोडवा स्थानांतरण किए जाने संबंधी फर्जी आदेश तैयार किया था.

कैलारस कारखाने पर डीएम के दावे से बवाल

नवभारत न्यूज
मुरैना, 24 अगस्त . जिले के कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने को पुनर्जीवित कर चालू करने का निर्णय कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के आमरण अनशन से पहले ही लिए जाने संबंधी मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

विधायक उपाध्याय ने कलेक्टर को हस्तलिखित पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कलेक्टर जैसे पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बयान देना पद की गरिमा के खिलाफ है. उन्होंने सवाल



बयान पर भड़के विधायक

कलेक्टर ने उन्हें सरकार के निर्णय से अवगत क्यों नहीं कराया और आंदोलन स्थल पर पहुंचकर इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं दी. विधायक ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान जारी कर जनता को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कलेक्टर से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.

उपाध्याय ने पत्र में चेतावनी दी है कि वह कलेक्टर के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के साथ न्यायालय में मानहानि का मामला भी दायर करेंगे. विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कलेक्टर ने सरकार के कहने पर बयान जारी किया है, ताकि कैलारस शक्कर कारखाना चालू कराने का श्रेय उन्हें और कांग्रेस को नही मिल सके. दरआसल मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि यह कहना गलत है कि विधायक पंकज उपाध्याय के अनशन के बाद शक्कर कारखाना चालू करने का निर्णय लिया गया, यह निर्णय पहले ही ले लिया गया था.